

उत्तराखण्ड शासन  
परिवहन अनुभाग-1  
संख्या-§10/ix-1/302(2007)/2017  
देहरादून दिनांक : 30 मई, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के खण्ड 1 के उप खण्ड (2) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 1 जून, 2017 को ऐसा नियत करते हैं, जब उक्त नियमावली का नियम 52 प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से

(डा० उमाकांत पवार)  
प्रमुख सचिव।

01c

संख्या- — /ix-1/302(2007)/2017 तद्विषयक।

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग 4(ख) में प्रकाशित करते हुये उसकी 50 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग-1, उत्तराखण्ड सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र जोशी)  
उप सचिव।

01c

संख्या-§10/ix-1/302(2007)/2017 तद्विषयक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 2- मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी उत्तराखण्ड।
- 5- राजकीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र जोशी)  
उप सचिव।

01c

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. <sup>510</sup>/IX-1/302(2007)/2017, Dehradun, ,2017 for general information.

**Uttarakhand Shasan**

**Transpor Section-1**

**No. <sup>510</sup>/IX-1/302(2007)/2017**

**Dated Dehradun, 30 May, 2017**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by proviso of sub. Clause (2) of clause 1 of The Uttarakhand Moter Vehicles ( Fourth Amendment) Rules] 2016 the Governor appoint 1 june, 2017 the date on which the Rule 52 of the aforesaid Rules shall come into force.

By Order

(Dr. Umakant Panwar)

Principal Secretaty